Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेंस/टीए/4279/2003/जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर

प्रार्थी

बनाम

1 मंगली पत्नी रोडूराम
2 रामकरण पुत्र मोहरू
3 भगवानाराम पुत्र रामू सभी जाति जाट निवासी रामपुरा उंती तहसील सांगानेर
4 लादूराम पुत्र नाथू जाति जाट (फौत) जरिये वारिसान
4/1 साझादेवी पत्नी लादूराम
4/2 प्रभूदेवी पुत्री लादूराम जाति जाट निवासी रामपुरा
5 छीतर पुत्र नाथू (फौत)
6 हरिनारायण पुत्र किशना जाति जाट
7 रामचन्द्र पुत्र किशना जाति जाट निवासीयान रामपुरा उंती
8 रामचंद पुत्र बालूराम जाट (फोत)
9 हनुमान पुत्र बालूराम (फौत)
10 जगन्नाथ पुत्र बालूराम
11 सूरजकरण पुत्र बालूराम जाट
12 जगदीश पुत्र बालूराम जाट सभी निवासी रामपुरा उंती
13 गोविंदा पुत्र नाथू जाति मीणा (फौत)
14 हनुमान पुत्र मांगू जाति मीना निवासी रामपुरा उंती
15 बक्साराम पुत्र घासी जाति चमार
16 रामू पुत्र घासी जाति चमार
17 गुल्ली बेवा घासी जाति चमार निवासीयान रामपुरा उंती
18 बंशी पुत्र सुवा जाति चमार
19 मोहन पुत्र सुवा जाति चमार
20 झमखू बेवा सुवा जाति चमार निवासीयान रामपुरा उंती
21 दामोदर पुत्र झूथा जाति चमार
22 रामेश्वर पुत्र झूथा जाति चमार
23 हनुमान पुत्र झूथा जाति चमार निवासीयान रामपुरा उंती
24 किशोर पुत्र रामचन्द्र जाति चमार
25 कैलाश पुत्र रामचन्द्र जाति चमार
26 हीरालाल पुत्र रामचन्द्र जाति चमार सभी निवासी रामपुरा उती
27 सुन्दर बेवा रामचन्द जाति चमार निवासी रामपुरा उती
28 गोविन्द राम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति खटीक निवासी रामपुरा उती
29 तेजा पुत्र ठाकरसी कौम चमार निवासी रामपुरा उती
30 रामस्वरूप पुत्र छीतर कौम चमार

31 पूरण पुत्र छीतर जाति चमार निवासीयान रामपुरा उती
32 सरपंच जरिये ग्राम पंचायत रामपुरा उती तहसील सांगानेर

अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री मोइूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः
श्री सत्यनारायण सोलंकी उप राजकीय अभिभाषक
श्री अजयपाल ढिंढारिया वकील अप्रार्थी संख्या 16,19,21,23, 22,18,24,26,20,30
श्री जी.एस.लखावत वकील अप्रार्थी संख्या 3
श्री सतीश चंद पारीक वकील अप्रार्थी संख्या 1से 3

निर्णय

दिनांकः.26.3.18

यह रेफरेन्स धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 103/1998 में की गई अनुशंषा दिनांक 8.7.2003 से प्रेषित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, सांगानेर ने एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सहायक कलक्टर, चाकसू कैम्प सांगानेर के न्यायालय में एक वाद संख्या 152/89 वादी मंगली वगैरह ने प्रतिवादी लादूराम वगैर के विरूद्ध एक दावा इस्तकरार हक का दिनांक 31.8.89 को प्रस्तुत कर ग्राम रामपुरा उंती की आराजी खसरा नम्बर साबिक 38 हाल 56 रकबा 30, साबिक खसरा नम्बर 36 हाल 53 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा पर वादीगण का सदैव से कब्जा काश्त होना एवं उक्त आराजी का इन्द्राज पूर्व में बिरदा पुत्र नन्दा, किशना पुत्र हुकमा व बालू पुत्र भैरू जाट व रूपा पुत्र नानगा चमार के जो वर्तमान प्रतिवादी संख्या 1 से 24 के पूर्वाधिकारी थे का अंकन आया जबकि इनका विवादित आराजी से कोई संबधं नहीं था। सम्वत 2015 में उक्त आराजी सिवायचक दर्ज हो गई एवं आवंटन द्वारा प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 28 के पिता वगैरा के नाम हो गई लेकिन वास्तविक कब्जा वादीगण का ही रहा। आवंटी का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा। सिवायचक का अंकन व उसके बाद आवंटन किया जाना अवैध है। वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 91 स्वीकार कर वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद को डिक्री किये जाने में कोई आपति नहीं होना कथन किया। प्रतिवादी संख्या

30 सरकार की तरफ से 80 सी.पी.सी. का नोटिस नही देने के कारण वाद निरस्त करने के साथ ही दादरसी स्वीकार करने में आपति नहीं होने का कथन आया। वादी की तरफ से पी.डब्ल्यू. 1 से 3 तथा प्रतिवादीगण की तरफ से डी.डब्लयू.1 से डी.डब्ल्यू. 21 साक्ष्य में पेश हुए। वाद निर्णय में अंकित अनुसार वादीगण ने 21 दस्तावेज पेश किए। सहायक कलक्टर, चाकसू कैम्प सांगानेर ने निर्णय दिनांक 29.3.90 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। तहसीलदार, सांगानेर ने कलक्टर, जयपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह निर्णय व डिक्री धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। अतः रेफरेन्स किया जावे। जिला कलक्टर, जयपुर ने अपनी अनुशंषा दिनांक 8.7.2003 से यह रेफरेन्स राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

अप्रार्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने प्राथमिक आपति प्रस्तुत की जिस पर विद्वान वकुलाया उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि सहायक कलक्टर, चाकसू कैम्प सांगानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.3.90 राजस्थान कातश्कारी अधिनियम की धारा 42 के विधिक प्रावधानों के विपरीत है। विवादित भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य की खातेदारी की भूमि थी जिसे वादी व प्रतिवादीगण की दुरभिसंधी से कानूनी प्रावधानों के विपरीत गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की घोषित की गई है जो अनुचित एवं अवैध है। ऐसी अवैध निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने हेतु समय सीमा बाधक नहीं हो सकती एवं रेफरेन्स के माध्यम से कभी भी ऐसी अवैध डिक्री को निरस्त किया जा सकता है। अतः प्रारंभिक आपति अस्वीकार करते हुए रेफरेन्स स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 16, 19, 21, 23, 22,18, 24, 26, 20, 30 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि अनूसूचित जाति के एवं अनसूचित जनजाति सदस्य के खातेदारी की भूमि है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार किसी गैर अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति यथास्थिति के व्यक्ति को खातेदारी अधिकार विक्रय, दान, बक्शीश अथवा डिक्री के माध्यम से नहीं दिये जा सकते। ऐसी विधि विरूद्व पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स एक अच्छा माध्यम है एवं इसमें समय सीमा बाधक नहीं हो सकती। विद्वान अभिभाषक ने 2018(1) आर.आर.टी. पेज 258 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर रेफरेन्स स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि यह रेफरेन्स संधारण योग्य ही नहीं है। सहायक कलक्टर,

चाकसू ने विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों को अपनाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णय व डिक्री दिनांक 29.3.90 पारित की है। इसमें राज्य सरकार पक्षकार थी एवं उन्हें सुना गया है। प्रतिवादीगण ने इकबाली जबाबदावा प्रस्तुत किया है। दोनों पक्षो की उपस्थिति में सुनवाई का अवसर देकर उभयपक्षो की जबाबदेही लिखित में आने पर दोनों पक्षो की साक्ष्य ली जाकर निर्णय पारित किया गया है। ऐसे निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिया हुआ है। यदि किसी पक्षकार को इस निर्णय से व्यथा थी तो उन्हें विधिक प्रावधानों के अनुसार अपील करनी चाहिये थी। जहां अपील का प्रावधान हो वहां रेफरेन्स संधारण योग्य नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादीगण ने वाद की दादरसी स्वीकार कर वाद वादी स्वीकार करने में आपति नहीं होने की जबाबदेही की तथा साक्षी में भी वही कथन किया और वाद कथन का समर्थन/पुष्टि की। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वर्तमान अप्रार्थीगण संख्या 16,19,21,23,22,18, 24,26,20,30 ने वाद में इकबालिया जबाब दिया था तथा अप्रार्थी संख्या 16, 19, 21, 23, 18, 26, 30 ने साक्षी में उपस्थित होकर भी वाद कथन का समर्थन किया था। ऐसी स्थिति में अब जो बहस की है वह बदलते समय के साथ परिवर्तित विचलित मन से अन्तर्निहित कारणों से की है जो मानने योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिवक्ता इन्द्रेश कुमार रामचंदानी का पूर्ववर्ती वकालतनामा अप्रार्थी संख्या 21, 22, 23, 18, 19, 20, 24 व 26 का है और इन्हीं अप्रार्थीगण की तरफ से श्री अजयपाल ढिंढारिया का पश्चातवर्ती अद्यतन वकालतनामा है। ऐसी स्थति में श्री रामचंदानी के कई पेशी से उपस्थित नहीं आने तथा आज आवाज लगाने के उपरांत भी उपस्थिति नही आने के उपरांत भी उनके उक्त पक्षकारों की तरफ से अद्यतन वकालतनामे के वकील के कथन आ चुके हैं। साथ ही बदरी, मकनलाल, मनीष, तारांचद, राधा नामक अंकन श्री ढिंढारियाजी के वकालतनामे में है। और इनकी तरफ से श्री वकालतनामा अंकन अनुसार पक्षकार कथन श्री ढिंढारिया ने कर दिया है। किन्तु यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में पक्षकार के रूप में अंकित नहीं है और ना ही कोई संशोधित उनवान अथवा इनके पक्षकार होने के बारे में पत्रावली पर कोई कथन अथवा न्यायालय का कोई निर्देश अंकित नहीं है। यह तथ्य न्यायालय के ध्यान में लाया जाना उचित समझता हूं। ऐसी स्थिति में जिन पक्षकारों का प्रार्थना पत्र में पक्षकार के रूप में अकन है और जिनकी तरफ से वकालतनामा आया हैं, उन्होंने बहस कथन कर लिया है श्री रामचंदानी के वकालतनामे में घासी नाम अंकन है किन्तु वह पक्षकार के रूप में अंकित नही है। साथ ही श्री इन्द्रानी बार बार आवाज लगाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए है। ऐसी स्थिति में यह अनुपस्थिति सुनने की दृष्टि से कोई सारवान प्रभाव नही रखती है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने आगे तर्क दिया कि रेफरेन्स हेतु हालांकि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कभी भी रेफरेन्स किया जा सके। यह सीमा अधिकतम 3 वर्ष हो सकती है। वर्तमान रेफरेन्स अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य भी नहीं है। विद्वान अभिभाषक ने 2000 आर.आर.डी. पेज 52, 2012(2) आर.आर.टी. पेज 1072, 2010 (17) आर.बी.जे. पेज 358 आदि न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर प्राथमिक आपति स्वीकार करते हुए रेफरेन्स खारिज करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 श्री सतीशचंद पारिक ने कथन किया कि प्राथमिक आपति का विधि अनुसार निस्तारण किया जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सहायक कलक्टर, चाकसू कैम्प सांगानेर ने उनके समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 152/89 में प्रतिवादी की तलबी की है एवं प्रतिवादी की ओर से वकील उपस्थित हुआ है। राज्य पक्ष की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत किया गया है। दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य ली गई है। सहायक कलक्टर ने सुनवाई कर विधिक प्रक्रियाओं की पालना करते हुए आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 29.3.1990 पारित की है। यह निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर के क्षेत्राधिकार में पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि सहायक कलक्टर द्वारा विधिक प्रक्रिया एवं न्यायिक प्रक्रियाओं का पालना नहीं किया हो अथवा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया हो।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सहायक कलक्टर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील का प्रावधान विधमान है। अतः जहां अपील का प्रावधान हो वहां रेफरेन्स किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 29.3.1990 की है जिसके विरूद्ध अपील नहीं की जाकर वर्ष 2003 में यह रेफरेन्स किया गया है जो लगभग 13 वर्ष की देरी से किया गया है।

न्यायिक दृष्टान्त 2018(1) आर.आर.टी. पेज 258 का अवलोकन एवं अध्ययन किया। यह न्यायिक दृष्टान्त वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होता है क्योंकि वर्तमान प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण सहायक कलक्टर के न्यायालय में उपस्थित रहे हैं तथा जबाबदेही कर साक्षी में उपस्थित आए हैं जबकि न्यायिक दृष्टान्त के प्रकरण में

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। वहां प्रतिवादीगण की उपस्थिति संदिग्ध मानी गई है।

इसके विपरीत 2012(2) आर.आर.टी. पेज 1072 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित किया। विधिक रूप से वैध डिक्री को अत्यधिक विलम्ब (22 वर्ष) से प्रस्तुत रेफरेन्स के माध्यम से खारिज नहीं किया जा सकता जिससे रेफरेन्स खारिज किया गया है।

आर.बी.जे. 2010(17) पेज 358 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि 17 साल की देरी से रेफरेन्स की शक्तियों का प्रयोग किया जाना न्यायोचित नहीं है। आर.आर.डी. 2000 पेज 52 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि हालांकि रेफरेन्स हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है परन्तु रेफरेन्स एक युक्तियुक्त समयावधि में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये। 18 वर्ष बाद प्रस्तुत रेफरेन्स को खारिज किया गया है। इसी न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया है कि राजस्व न्यायालय द्वारा प्रतिपादित डिक्री की पालना में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरित किया जाने को विक्रय, गिफट व बक्शीश नहीं माना जा सकता जिससे धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

उक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त वर्तमान प्रकरण पर पूरी तरह लागू होते हैं क्योंकि वर्तमान प्रकरण में विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर चाकसू कैम्प सांगानेर द्वारा विधिक प्रक्रियाओं का पालन कर डिक्री पारित की गई है जिसके विरूद्ध अधिनियम में अपील का प्रावधान होते हुए भी अपील प्रस्तुत नहीं की जाकर अत्यधिक विलम्ब से यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह रेफरेन्स अत्यधिक विलम्ब लगभग 13 वर्ष देरी से प्रेषित किया गया है ऐसी स्थिति में उपरोक्तानुसार अप्रार्थी संख्या 3 की प्राथमिक आपति स्वीकार की जाती है। परिणामतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज किया जाता है।
निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य